लोक शिक्षण संचालनालय

मध्यप्रदेश, गौतम नगर भोपाल
दूरभाष– 91–0755–2581064, फेक्स–91–0755–2583651, Email:nveqfmp@gmail.com

क्र./SS(SE)/व्या.शि./2021–22/1473 — भोपाल, दिनांक 16/07/2022

प्रति,

1. जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा(सेकेण्डरी एजुकेशन), समस्त जिले, म.प्र.।
2. प्राचार्य, समस्त संबंधित शास. उ.मा. विद्यालय/हाईस्कूल समस्त जिले, म.प्र.।

विषयः–नवीन व्यावसायिक शिक्षा(NSQF) अंतर्गत कक्षा 9वीं में ट्रेड/जॉबरोल में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के द्वारा किये जाने वाले भाषा चयन के संबंध में।

संदर्भः–परीक्षा नियंत्रक माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश, भोपाल का आदेश क्र/2508/प.स./2022 दिनांक 05/07/2022

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत कतिपय प्राचार्यो द्वारा नवीन व्यावसायिक शिक्षा अंतर्गत सत्र 2022–23 में कक्षा 9वीं में ट्रेड/जॉबरोल में प्रवेश के संबंध में विद्यार्थियों को संस्कृत के स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा ट्रेड/जॉबरोल लेने के निर्देश दिए जा रहे हैं, यह उचित नहीं है।

इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी संदर्भित आदेश क्र/2508/प.स./2022 दिनांक 05/07/2022 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा ट्रेड/जॉबरोल में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों द्वारा–

- प्रथम भाषा के रुप में हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से किसी एक भाषा का चयन किया जा सकता है एवं
- द्वितीय भाषा के रुप में शेष भाषाओं**(जिसमें संस्कृत भाषा भी सम्मिलित है)** में से किसी एक भाषा का चयन किया जा सकता है एवं
- तृतीय भाषा के स्थान पर विद्यालय में संचालित किसी एक व्यावसायिक शिक्षा ट्रेड/जॉबरोल का चयन किया जा सकता है।

अतः संस्था प्राचार्य द्वारा कक्षा 9वीं में व्यावसायिक शिक्षा ट्रेड/जॉबरोल में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को यह स्पष्ट किया जाये कि वे हिन्दी एवं संस्कृत/उर्दू/शेष अन्य भाषा के साथ व्यावसायिक शिक्षा ट्रेड/जॉबरोल अथवा अंग्रेजी एवं संस्कृत/उर्दू/शेष अन्य भाषा के साथ व्यावसायिक शिक्षा ट्रेड/जॉबरोल का चयन कर सकते हैं।

संलग्न : संदर्भित पत्र।

(अभय वर्मा)
आयुक्त
लोक शिक्षण, म.प्र.

क्र./SS(SE)/व्या.शि./2021–22/1474 — भोपाल, दिनांक 16/07/2022

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय राज्य मंत्री जी, स्कूल शिक्षा(स्वतंत्र प्रभार), म.प्र. शासन।
2. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन।
3. सचिव, म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर, समस्त जिले म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
5. परीक्षा नियंत्रक, म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर सूचनार्थ।
6. संयुक्त संचालक, लोक शि. संभाग, समस्त संभाग, म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
7. अति. जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा(सेकेण्डरी एजुकेशन), समस्त जिले, म.प्र.।
8. समस्त संबंधित प्राचार्यो की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ।
9. समस्त संबद्ध VTP समग्र शिक्षा(सेकेण्डरी एजुकेशन), म.प्र. की ओर सूचनार्थ।

आयुक्त
लोक शिक्षण, म.प्र.

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-मेल : mpbse@mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

क्रमांक / 2508 / प.स. / 2022 भोपाल दिनांक 5 / 7 / 2022

// आदेश //

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश द्वारा शिक्षण सत्र 2022-23 में आयोजित की जाने वाली हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी एवं व्यावसायिक परीक्षाओं के आवेदन पत्र मान्यता प्राप्त संस्थाओं के नियमित छात्रों के प्रवेश एवं परीक्षा संबंधी मार्गदर्शिका पुस्तिका आदेश क्रमांक 2474-75 दिनांक 13.06.2022 एवं आदेश क्रमांक 2502-03 दिनांक 23.06.2022 जारी किया गया है। जारी निर्देशों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है-

1- "सामान्य छात्रों को भाषा विषयों में हिन्दी एवं अंग्रेजी लेना अनिवार्य है। शेष भाषा विषयों में से तृतीय भाषा के रूप में किसी एक भाषा का चयन कर सकेंगे।

2- **NSQF** का विषय का चयन तृतीय भाषा के स्थान पर किया जा सकेगा।

3- **NSQF** विषय का चयन करने वाले छात्र प्रथम भाषा हेतु हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में से किसी एक विषय का चयन करना अनिवार्य होगा तथा द्वितीय भाषा के चयन हेतु शेष भाषा में से कोई एक भाषा विषय का चयन कर सकेगा।

समस्त मान्यता/संबद्धता प्राप्त संस्थाऐं उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करे, तथा शेष निर्देश यथावत रहेगी।

05/7/22

परीक्षा नियंत्रक
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश,भोपाल

पृष्ठांकन क्रमांक / 2509 / प.स. / 2022 भोपाल, दिनांकः 5 / 7 / 2022

प्रतिलिपि :-

1- विशेष सहायक, माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2- निज सचिव-अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल।
3- निज सहायक-प्रमुख सचिव/सचिव म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग/आदिम जाति/अनु. जाति, कल्याण विभाग,मंत्रालय,भोपाल।
4- कमिश्नर, समस्त राजस्व संभाग, मध्यप्रदेश।
5- आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश भोपाल।
6- आयुक्त, आदिवासी विकास, सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश।
7- आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, श्यामला हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश।
8- संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश भोपाल।
9- समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
10- समस्त, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
11- संयुक्त संचालक, शिक्षा समस्त, मध्यप्रदेश।
12- सहायक आयुक्त, समस्त, आदिम जाति कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
13- समस्त, जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
14- माननीय मण्डल सदस्य, माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश।
15- आंचलिक अधि./समस्त, संभा.अधि./समस्त स.स./क.अ.परीक्षा संभाग एवं लोक सूचना कक्ष।
16- पंजीयक परीक्षा/जनसम्पर्क अधि./विधि अधिकारी/सी.एस.ओ./वित्ताधिकारी, मा.शि.मं.भोपाल।
17- नि.स.- सचिव/अतिरिक्त सचिव/परीक्षा नियंत्रक/उपसचिव मा.शि.म.मंडल।
18- प्राचार्य, समस्त मान्यता प्राप्त संस्थायें, मध्यप्रदेश।
19- लोक सूचना अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल।
20- संचालक, **MPOnline** मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

05/7/22

परीक्षा नियंत्रक
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश, भोपाल